न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 52/2024

अनवान : –

1 अभीलाल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम्

1. चुनीराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.
उपस्थिति :– श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत प्रार्थी
एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 24/01/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120 में कुल 4.048 है0 आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 तथा प्रतिवादी संव 3 ता 4 के पिता, अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.809 है0, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51 में कुल 2.188 है० आराजी में अप्रार्थीसं0 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.438 है0, चकनं0 9 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 91 /63 में कुल 0.772 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.154 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। फोटो कॉपी जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित अप्रार्थी सं० 1 के नाम आराजी, प्रार्थी के दादा हरीराम को अलॉट हुई थी जिनकी मृत्यू के बाद उपरोक्त आराजी का विरास्तन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है, जिस कारण से प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे वर्णित अप्रार्थी सं० 1 के नाम की आराजी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रतिवादीगण 3 व 4 द्वारा अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी के दादा हरीराम के नाम की पैतृक जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित अप्रार्थी सं० 1 के नाम की आराजी में प्रार्थी के 1/3 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से तथा समस्त आराजी अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

की बाबी अपने नाम करवाने तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120 में कुल 4.048 है0 आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 3 ता 4 के पिता, अप्रार्थी सं० 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.809 है0, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51. में कुल 2.188 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.438 है०, चकनं0 9 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 91/63 में कुल 0.772 है0 आराजी में अप्रार्थी सं० 1 का 1/5 हिस्सा यानि 0.154 है0 आराजी मे से प्रार्थी 1/3 हिस्सा की आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं० 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51, चकनं0 9 आर.डबल्यू डी के खाता सं0 91/63 में से अप्रार्थी सं० 1 का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित अप्रार्थी सं० 1 के नाम की आराजी प्रार्थी के दादा से अप्रार्थी सं0 1 को विरासतन प्राप्त आराजी है जो कि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है लेकिन अप्रार्थी सं० 1 जो कि अप्रार्थी सं0 2 के नाजायज दबाव व असर में है तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 आपस में दुरभि संधि किये हुए है तथा मुझ प्रार्थी का हक मारने की गर्ज से अप्रार्थी सं0 2, अप्रार्थी सं० 1 के नाम की आराजी को अन्यत्र रहन, बैय करने पर आमादा है तथा बार बार प्रार्थी को ऐलानियां धमकीयाँ दी जा रही है कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी को हम मिलकर जल्द ही दिगर व्यक्तियों को रहन, बैय कर देवेगें, अगर अप्रार्थी सं० 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जावेगा।अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनो विन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120 में कुल 4.048 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51 में कुल 2.188 है0 आराजी में अप्रार्थीसं० 1 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 9 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 91/63 में कुल 0.772 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/5 हिस्सा की आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा अप्रार्थी संव 1, अप्रार्थी सं० 2 के साथ मिलकर राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व वाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120 में कुल 4.048 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51 में कुल 2.188 है0 आराजी में अप्रार्थीसं० 1 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 9 आर.डबल्यू डी के खाता सं0 91/63 में

Scanned with CamScanner

कुल 0.772 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/5 हिस्सा की आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित न करें। अप्रार्थीगण न तो स्वयं न ही अप्रार्थी का कोई विधिक पैरोकार न्यायालय में उपस्थिति आया अप्रार्थीगण की सम्यक विधिवत तामिल होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नही आने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 05.11.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि में प्रार्थी के पिता चूनीलाल पुत्र हरीराम के नाम से राजस्व रिकोर्ड में है जो पैतृक सम्पति है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वाद भूमि में अप्रार्थी अपने हक हिस्से की मांग कर रहा है जो की वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही। उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी केवल अपने हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। जब तक प्रार्थी के हक हिस्सो का निर्धारण नही हो जाता तब तक अप्रार्थी स0 1 को उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के हिस्सा तक की हद तक पावन्द किया जाना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी ना बढ़े, अतः चकनं0 10 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 132/120 में कुल 4.048 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 6 आर डबल्यू डी के खाता सं0 57/51 में कुल 2.188 है0 आराजी में अप्रार्थीसं० 1 अपने 1/5 हिस्सा, चकनं0 9 आर.डबल्यू डी के खाता सं0 91/63 में कुल 0.772 है0 आराजी में अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/5 हिस्सा तक दिनांक 26.04.2024 को अस्थाई स्थगन जारी किया गया था। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनाता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.04.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा स्वीकार (confirm) की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 24/01/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner